

dkj [kkuk dk fuc/khdj .k@ ekufp= vupeknu graq
pd&fyLV

1/1½ dkj [kkuk vf/kfu; e 1948 dh /kkjk 85 ds vUrxlr fucf/kr gkus okys dkj [kkus ds | Ecl/k ei pd fyLV%

- (क) विधिवत पूर्ण रूप से भरा गया आवेदन पत्र (प्रपत्र संख्या-2) की तीन प्रति।
(ख) सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क से संबंधित चालान की मूल प्रति एवं छाया प्रति।
(ग) कारखाना जिस भू-भाग पर स्थापित है उससे संबंधित वैधानिक कागजात की अभिप्रमाणित छाया प्रति (तीन प्रतियों में)।
(घ) यदि कारखाना के दखलकार का स्वरूप पार्टनरशिप हो, तो पार्टनरशिप डीड की अभिप्रमाणित तीन प्रतियों।
(ङ) यदि कारखाना के दखलकार का स्वरूप निर्देशक मंडल द्वारा संचालित हो, तो कारखाना का मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कम्पनी रजिस्टर से निर्गत निगमन प्रमाण पत्र, निर्देश मंडल के सदस्यों का आवासीय पता के साथ सूची एवं किसी एक निदेशक के दखलकार मनोनयन संबंधी रिज्यूलेशन की दो-दो प्रतियों।
(च) कारखाना में स्थापित किये जाने वाले मशीनों की सूची, उत्पादन प्रक्रिया संबंधी विवरणी एवं कारखाना में उपयोग होने वाले कच्चा माल संबंधी विवरणी एवं यथा अपेक्षित बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र।
(छ) लकड़ी चिरान अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले कारखानों के लिए वन विभाग की अनुज्ञाप्ति की अभिप्रमाणित छायाप्रति की दो प्रतियों।
(ज) विस्फोटक कोटि के अन्तर्गत आने वाले कारखाना हेतु जिला प्रशासन एवं विस्फोटक विभाग से अनुज्ञाप्ति/अनापत्ति प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छाया प्रति की तीन प्रतियों।
(झ) इन्सेक्टिसाइडस/पेस्टीसाइडस संबंधी कारखानों के लिए भारत सरकार/बिहार सरकार से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र/निबंधीकरण प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छाया प्रति की दो प्रतियों।
(ञ) दवा उत्पादन संबंधी कारखाना हेतु औषधि नियंत्रक कार्यालय से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनुज्ञाप्ति की अभिप्रमाणित छाया प्रति की दो प्रतियों।

सभी कागजात अभिप्रमाणित होना चाहिए।

1/2½ /kkjk 2M1½ ds vUrxlr fucf/kr gkus okys dkj [kkuk ds | Ecl/k ei pd fyLV%

- (क) यथा उपरोक्त पारा एक में वर्णित।

(3) dkj [kkuk dk ekufp= vupeknu graq gtm] dkj [ku@ [krjukd dkj [ku@ | kekU; dkj [kkus dk pd fyLV%

- (क) प्रपत्र संख्या-1 की तीन प्रतियों।
(ख) मानचित्र, प्लान एभिलेशन, आवश्यक कॉस सेक्शन एवं साईट प्लान के साथ मानचित्र की तीन प्रतियों, जिस पर दखलकार का हस्ताक्षर हो।
(ग) उत्पादन प्रक्रिया की संक्षिप्त विवरणी एवं फ्लो चार्ट की तीन प्रतियों।
(घ) भू-भाग संबंधी वैधानिक कागजात, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र, मशीन की सूची एवं रो-मैटेरियल की विवरणी तीन-तीन प्रतियों में।
(ङ) उत्पादन प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होने वाले खतरा/हजार्डस एवं उसके प्रभाव के संबंध में पूर्ण विवरणी।

(4) dkj [kkuk vf/kfu; e 1948 dh /kkjk 2M1½ ds vUrxlr fucf/ku gkus okys dkj [kkus dk pd fyLV%

- (क) मशीनों की सूची छोड़कर पारा-1 में उल्लेखित सभी कागजात।

सभी कागजात अभिप्रमाणित होना चाहिए।

मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार
पटना।